रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022026-269851
CG-DL-E-05022026-269851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947
No. 104]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 110(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 76 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र 01, फरवरी, 2026 की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7. रिटेनर, फीस और भत्ते- नियम 5 में उल्लिखित कर्तव्यों का निष्पादन करन के लिए, विधि अधिकारी को -

(क) उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय,-

(i) महान्यायवादी के मामले में, एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिमासः

(ii) महा-सालिसीटर के मामले में, छियानवे हजार रुपये प्रतिमास; और

(iii) अपर महा-सालिसीटर के मामले में, बहत्तर हजार रुपये प्रतिमास"

रिटेनर का संदाय किया जाएगा।

(ख) उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, जांच आयोगों या अधिकरणों और इत्यादि के समक्ष लंबित मामलों में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होने तथा अन्य कार्य के लिए निम्नलिखित मापमानों पर फीस, अर्थात्:-

क्रम सं.	कार्य के मद की नाम पद्धति	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय सहित) और अन्य न्यायालय (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से भिन्न) या किसी अधिकरण या किसी जांच आयोग या किसी मध्यस्थ के समक्ष मामलों में उपस्थिति और अन्य कार्य के लिए संदेय फीस की दरें
(1)	(2)	(3)
1.	वाद, रिट याचिकाएं, अपील और अनुच्छेद 143 के अधीन संदर्भ (प्रति मामला प्रतिदिन)	38,400 रुपए प्रति मामला प्रतिदिन
2.	विशेष अनुमति याचिकाएं और अन्य आवेदन (प्रति मामला प्रतिदिन)	24,000 रुपए प्रति मामला प्रतिदिन
3.	अभिवचनों का निपटान (शपथ पत्रों सहित प्रति अभिवचन)	12,000 रुपए प्रति अभिवचन
4.	मामले के कथन का निपटान	14,400 रुपए प्रति मामला
5.	विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए मामलों के कथनों में राय देने के लिए (केवल संवैधानिक या कानूनी निर्वचन संबंधी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को अंतर्वलित करने वाले मामलों के लिए) प्रति मामला	24,000 रुपए प्रति मामला
6.	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जांच आयोगों या अधिकरणों के समक्ष लिखित निवेदन के लिए (प्रति मामला)	24,000 रुपए प्रति मामला
7.	दिल्ली से बाहर न्यायालयों में उपस्थिति (केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में विधि अधिकारियों के लिए) प्रति मामला प्रतिदिन	96,000 रुपए प्रतिदिन प्रति मामला
8.	उच्च न्यायालयों में अपर महा-सालिसिटर के लिए अपने मुख्यालयों के अलावा उनकी अधिकारिता के भीतर न्यायालयों में उपस्थिति के लिए	60,000 रुपए प्रतिदिन प्रति मामला

स्पष्टीकरण:- यदि समान तर्कों के साथ सारवान रूप से एक जैसे प्रश्नों को अंतर्वलित करने वाले दो या दो से अधिक मामलों की सुनवाई एक साथ की जाती है तो विधि अधिकारी केवल एक ही मामले के रूप में फीस का हकदार होगा।

(ग) जहां किसी विधि अधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मुख्यालय से बाहर यात्रा किया जाना अपेक्षित है, वहां क्रमशः :-

(i) भारत के महान्यायवादी के लिए, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-18 पर;

(ii) भारत के महा-सालिसिटर के लिए, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-17 पर;

(iii) भारत के अपर महा-सालिसिटर के लिए, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-15 पर;

केंद्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी की पात्रता के अनुसार यात्रा बोर्डिंग और आवास के लिए संदाय या प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(घ) यदि किसी विधि अधिकारी से नियम 5 में निर्दिष्ट कर्तव्यों जैसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करना या दोनों पक्षकारों, जिनमें एक पक्षकार भारत सरकार है, को सुनने के पश्चात् राय देना, से भिन्न किसी कर्तव्य का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, तो उसे ऐसी फीस का संदाय किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए।

[फा.सं. 12011/6/2025/न्या.]

एम.सी. प्रष्टि, वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता

पाद टिप्पणः- विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 1 जनवरी, 1987 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1 (अ), तारीख 1 जनवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :

1. सा.का.नि. नं. 379(अ) तारीख 14 अप्रैल, 1987
2. सा.का.नि. 473(अ), तारीख 22 जून, 1993
3. सा.का.नि. नं. 403(अ) तारीख 2 जून, 1999
4. सा.का.नि. नं. 345(अ) तारीख 10 मई, 2001
5. सा.का.नि. नं. 106(अ) तारीख 25 फरवरी, 2005
6. सा.का.नि. नं. 723(अ) तारीख 16 दिसंबर, 2005
7. सा.का.नि. नं. 568(अ) तारीख 18 जुलाई, 2008
8.. सा.का.नि. नं. 772(अ) तारीख 1 अक्तूबर, 2015।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2026

G.S.R. 110(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with article 76 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987, namely :-

1. (1) These rules may be called the Law Officers (Conditions of Service) Amendment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force with effect from 01st day of February, 2026.

2. In the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely: -

"7. Retainer, fee and allowances." For the performance of the duties mentioned in rule 5, a Law Officer shall be paid

(a) a retainer, except during the period of his leave, -

(i) in the case of the Attorney General, of rupees one lakhs twenty thousand per month;

(ii) in the case of the Solicitor-General, of rupees ninety-six thousand per month; and

(iii) in the case of Additional Solicitor General, of rupees seventy-two thousand per month;

(b) a fee for appearance and other work on behalf of the Government of India in cases before the Supreme Court, various High Courts, Commissions of Inquiry or Tribunals and the like on the following scales, namely: -

Serial Number	Nomenclature of the item of work	Rates of fees payable for appearance and other works in cases before the Supreme Court, High Court (Including Delhi High Court) and any Court (other than the Supreme Court or High Court) or a Tribunal or a Commission of Inquiry or an Arbitrator
(1)	(2)	(3)
1.	Suits, writ petitions, appeals and reference under article 143 (per case per day).	Rs. 38,400/- per case per day
2.	Special leave petitions and other applications (per case per day).	Rs. 24,000/- per case per day
3.	Settling pleadings (including affidavits per pleading)	Rs. 12,000/- per pleading
4.	Settling statement of case (per case per day)	Rs. 14,400/- per case
5.	For giving opinions in statements of cases sent by the Ministry of Law (Only for matters involving questions of Constitutional or Statutory interpretation and importance) per case	Rs. 24,000/- per case
6.	For written submission before the Supreme Court, High Court and Commissions of Inquiry or Tribunals (per case)	Rs. 24,000/- per case
7.	Appearance in Courts outside Delhi (Only for Law Officers in Supreme Court of India) per case per day	Rs. 96,000/- per day per case
8.	For appearance in courts within their jurisdiction, apart from their headquarters, for Additional Solicitor General for India in High Courts.	Rs. 60,000/- per day per case

Explanation.- If two or more cases involving substantially identical questions are heard together with common arguments, Law Officers shall be entitled to only one fee as for a single case.

(c) Where a Law Officer is required to perform journeys outside the headquarter in the course of his duties, he shall be paid or reimbursed for travelling, boarding and lodging as per the entailment of group 'A' Officer of the Central Government as follows: -

(i) Attorney General for India at pay level-18 of the seventh central pay commission;

(ii) Solicitor General for India at pay level-17 of the seventh central pay commission;

(iii) Additional Solicitor General for India at pay level- 15 of the seventh central pay commission respectively.

(d) If a Law Officer is called upon to perform any duty other than those referred to in rule 5, such as, acting as Arbitrator or giving any opinion in any matter after hearing both the sides, one being the Government of India, he shall be paid such fee as may be determined by the Central Government.

[F. No. 12011/6/2025-Judl.]

M.C. PRUSTY, Senior Government Advocate

Pot Note: The Law Officers (Conditions of Services) Amendment Rules,1987 were published in the Gazette of India Extraordinary part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 1st January, 1987 vide notification number G.S.R. 1(E) dated the 1st January, 1987 and subsequently amended wide the following notifications, namely:

1. G.S.R. No. 379(E), dated the 14th April,1987
2. G.S.R. 473 (E), dated the 22nd June, 1993
3. G.S.R. R 403 (E), dated the 2nd June, 1999
4. G.S.R.345 (E), dated the10th May, 2001
5. G.S.R. 106 (E), dated the 25th February, 2005
6. G.S.R. 723(E), dated the16th December, 2005.
7. G.S.R. 568 (E), dated the 18th July, 2008
8. G.S.R. 772(E), dated on 1st October, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA